

भारतीय उच्च शिक्षा का अति-राजनीतिकरण

प्रलम्ब के लिये:

[भारतीय उच्च शिक्षा, कुलपति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग \(UGC\), राष्ट्रीय शिक्षा नीति \(NEP\) 2020, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद](#)

मेन्स के लिये:

भारतीय उच्च शिक्षा में राजनीतिक हस्तक्षेप, शैक्षणिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता

[स्रोत द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

[भारतीय उच्च शिक्षा](#) का राजनीतिक एजेंडों के साथ जुड़ने का एक लंबा इतिहास रहा है। हाल के वर्षों में यह प्रवृत्ति और भी तीव्र हो गई है, जिसका प्रभाव शैक्षणिक जीवन एवं संस्थागत अखंडता के विभिन्न पहलुओं पर पड़ रहा है।

राजनीति ने भारतीय उच्च शिक्षा को किस प्रकार आकार दिया है?

- **राजनीतिक आधार:** भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान लंबे समय से राजनीतिक एजेंडों से प्रभावित रहे हैं, राजनेता अपने करियर को बेहतर बनाने के लिये समय-समय पर कॉलेजों की स्थापना करते रहे हैं।
- **मतदाताओं की मांगें:** मतदाताओं की सामाजिक-सांस्कृतिक मांगों को पूरा करने के लिये कई संस्थाओं का निर्माण किया गया है, जो भारतीय समाज की विविध और जटिल प्रकृति को दर्शाती हैं।
 - सरकारों ने **शैक्षणिक संस्थानों को राजनीतिक रूप से लाभप्रद स्थानों पर स्थापित** किया है, जो अक्सर सामाजिक-सांस्कृतिक मांगों को पूरा करते हैं।
- **नामकरण और पुनर्नामकरण:** विश्वविद्यालयों का नामकरण और पुनर्नामकरण, विशेष रूप से राज्य सरकारों द्वारा, अक्सर राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होता है।
 - **उदाहरण:** उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (UPTU), लखनऊ का नाम कई बार बदला गया।
- **नियुक्तियाँ और पदोन्नतियाँ:** शैक्षणिक नियुक्तियाँ और पदोन्नतियाँ कभी-कभी **अभ्यर्थियों की योग्यता एवं गुणों के बजाय राजनीतिक विचारों से प्रभावित** होती हैं।
 - कई भारतीय राज्य विश्वविद्यालयों के लिये **राज्य के राज्यपाल** को कुलाधिपति नियुक्त करने पर असहमत जता रहे हैं।
- **शैक्षणिक स्वतंत्रता:** हालाँकि शैक्षणिक स्वतंत्रता के मानदंडों का हमेशा सख्ती से पालन नहीं किया गया है, विशेषकर स्नातक महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों ने अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का पालन किया है, जिससे प्रोफेसर्स को पढ़ाने, शोध करने और शोध पत्रों को स्वतंत्र रूप से प्रकाशित करने की अनुमति दी गई है।
 - **सेलफ-सेंसरशिप विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान और मानविकी** में प्रचलित हो रही है। प्रमुख शिक्षाविदों को विवादास्पद सामग्री प्रकाशित करने के लिये हानिकारक परिणाम भुगतने पड़े हैं।

भारत में उच्च शिक्षा:

- भारत में उच्च शिक्षा से तात्पर्य 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा के बाद प्रदान की जाने वाली **तृतीयक स्तर की शिक्षा** से है।
- भारत में 58,000 से अधिक **उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणाली मौजूद** है।
- वर्तमान में भारत में उच्च शिक्षा के लिये 43.3 मिलियन छात्र नामांकित हैं। **लगभग 79% विद्यार्थी स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं, जबकि 12% विद्यार्थियों ने स्नातकोत्तर (मास्टर डिग्री) के लिये** नामांकन दर्ज़ किया है। केवल 0.5% विद्यार्थी PhD के लिये अध्ययन कर रहे हैं, जबकि बाकी अधिकांश उप-डिग्री (Sub-Degree) डिप्लोमा कार्यक्रमों के तहत अध्ययनरत हैं।
 - सबसे लोकप्रिय स्नातक विषय क्षेत्र कला (34%) है, इसके बाद विज्ञान (15%), वाणिज्य (13%), और इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी

(12%) हैं।

- स्नातकोत्तर स्तर पर, शीर्ष विषय क्षेत्र सामाजिक विज्ञान (21%) है, उसके बाद विज्ञान (15%) और प्रबंधन (14%) हैं। PhD स्तर के लिये इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी (25%) में सबसे अधिक छात्र नामांकित हैं, उसके बाद विज्ञान (21%) का स्थान आता है।
- **उच्च शिक्षा भागीदारी दर (GER) बढ़कर 28.4% हो गई है**, जो वर्ष 2020-21 से 1.1% अधिक है।
 - उच्चतम GER वाले शीर्ष राज्य/केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, पुडुचेरी, दिल्ली, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल और तेलंगाना हैं।
- वर्ष 2021-22 में भारतीय संस्थानों में विदेशी छात्रों की कुल संख्या लगभग 46,000 थी।

शिक्षा के अत्यधिक राजनीतिकरण के परिणाम क्या हैं?

- **शैक्षणिक स्वतंत्रता में कमी:** इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही है कि राजनीतिक प्रभाव **शैक्षणिक स्वतंत्रता को कमजोर** कर सकता है, जिससे संकाय और छात्रों पर राजनीतिक विचारधारा के साथ जुड़ने का दबाव पड़ सकता है।
 - **पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय की अध्यक्ष लजि मैगलि** ने **कॉलेज परिसरों में यहूदी-वरोधी भावना के मुद्दे** पर अमेरिकी कॉंग्रेस समिति के समक्ष गवाही दी। फरि धनी दानदाताओं और पूर्व छात्रों के दबाव में आकर उन्होंने **त्यागपत्र दे दिया**।
- **वैश्विक प्रतिष्ठा:** राजनीतिकरण वाला शैक्षणिक माहौल **प्रतिभाशाली छात्रों और शिक्षकों** को भारतीय संस्थानों में दाखिला लेने या कार्य करने से हतोत्साहित कर सकता है। यह उच्च शिक्षा में वैश्विक नेता बनने के भारत के पर्याप्तों में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
- **विचारों की विविधता में कमी:** जब राजनीतिक एजेंडा अकादमिक चर्चा पर हावी हो जाता है, तो इससे **खुली बहस में बाधा उत्पन्न होती है और वैकल्पिक दृष्टिकोण का अन्वेषण करने में अरुचि उत्पन्न हो जाती है**।
- **छात्र सक्रियता की संभावना:** राजनीतिकरण बढ़ने से **छात्र सक्रियता** राजनीतिक दल के साथ या उसके विरुद्ध हो सकती है। हालाँकि छात्र सक्रियता सकारात्मक भी हो सकती है, लेकिन अगर यह अत्यधिक राजनीतिक हो जाए तो यह शैक्षणिक जीवन को बाधित भी कर सकती है।
- **शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक विश्वास का ह्रास:** जब विश्वविद्यालयों को राजनीतिक खेलों में मोहरे के रूप में देखा जाता है, तो **शैक्षणिक शोध के मूल्य और नैतिकता में लोक विश्वास** भंग हो सकता है। यह सार्वजनिक नीतिको आकार देने में शैक्षणिक विशेषज्ञता की वैधता को कमजोर करता है।
- **शोध वित्तपोषण में कमी:** अल्पकालिक एजेंडा वाले राजनेताओं द्वारा अनिश्चिति वाणज्यिक अनुप्रयोगों वाली **दीर्घकालिक शोध परियोजनाओं में निवेश** करने की संभावनाएँ कम हो सकती हैं।
 - इससे नवाचार और वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था में प्रतिसिपर्द्धा करने की भारत की क्षमता बाधित हो सकती है।
- **रोज़गार में कमी:** नियोक्ता **आलोचनात्मक सोच, समस्या-समाधान और अनुकूलनशीलता जैसे कौशल** को अधिक महत्त्व देते हैं। एक अति-राजनीतिक शिक्षा जो इन कौशलों पर विचारधारा को प्राथमिकता देती है, स्नातकों को कार्यबल के लिये असमर्थ बना सकती है।

राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने के लिये क्या किया जा सकता है?

- **संस्थागत स्वायत्तता:** अनुचित प्रभाव का विरोध करने के लिये संस्थागत स्वायत्तता को मज़बूत करना आवश्यक है। **विश्वविद्यालयों** को सरकारी नधियों पर निर्भरता कम करने के लिये **वित्तपोषण स्रोतों में विविधता** लाने हेतु प्रोत्साहित करना।
 - शैक्षणिक स्वतंत्रता को एक अटूट सिद्धांत के रूप में बनाए रखना तथा स्वतंत्र विचार-विमर्श और अनुसंधान सुनिश्चित करना।
 - **स्वायत्त विश्वविद्यालय बोर्ड** की स्थापना करना, जिससे उच्च शोध गुणवत्ता को बढ़ावा मिले, विशेष रूप से उन विषयों में जो राजनीतिक प्रभाव के प्रति संवेदनशील हों।
 - **विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों के लिये भारत के पर्याप्तों के अनुरूप, संस्थानों को स्वायत्त दर्जा** प्राप्त करने का प्रयास करना।
 - इससे उन्हें नवीन पाठ्यक्रम तैयार करने, विविध वित्तपोषण स्रोतों की तलाश करने और **UGC अधिनियम 2017 के तहत उत्कृष्ट संस्थानों** के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिये प्रतिसिपर्द्धा करने का अधिकार मिलता है, जिससे अंततः भारत में उच्च शिक्षा का परदृश्य अधिक गतिशील एवं प्रतिसिपर्द्धी हो जाता है।
 - शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में **उच्च शिक्षा संस्थानों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने** के लिये **राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (National Knowledge Commission- NKC)**, वर्ष 2005 तथा **यशपाल समिति (2009)** की सिफारिशों को लागू करना।
 - NKC ने **मौजूदा विश्वविद्यालयों में सुधार की सिफारिश** की है: प्रत्येक तीन वर्ष में पाठ्यक्रम का अद्यतन किया जाए, आंतरिक मूल्यांकन प्रक्रिया का उपयोग किया जाए, पाठ्यक्रम क्रेडिट प्रणाली अपनाई जाए तथा प्रतिभाशाली संकाय को आकर्षित किया जाए।
 - पाठ्यक्रम और परीक्षाओं के लिये केंद्रीय एवं राज्य स्नातक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए।
 - संसद के एक अधिनियम द्वारा हितधारकों द्वारा **उच्च शिक्षा के लिये स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण (Independent Regulatory Authority for Higher Education- IRAHE)** का निर्माण किया जाएगा।
- **शासी निकायों का राजनीतिकरण:** शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर **कुलपति** तथा अन्य प्रमुख पदों के चयन के लिये एक स्वतंत्र चयन प्रक्रिया से राजनीतिक प्रभाव कम हो सकता है।
 - **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy- NEP) 2020** में स्पष्ट रूप से परिभाषित, स्वतंत्र, पारदर्शी भर्ती, पाठ्यक्रम/शिक्षणशास्त्र **डिज़ाइन करने की स्वतंत्रता**, उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने और संस्थागत नेतृत्व में बदलाव के माध्यम से संकाय की प्रेरणा, ऊर्जा एवं क्षमता निर्माण के लिये सिफारिश की गई है। **बुनियादी मानदंडों पर खरा नहीं उतरने वाले संकाय को जवाबदेह ठहराया जाएगा।**

- इससे यह सुनिश्चित करने में सहायता मिल सकती है कि निरिणय राजनीतिक लाभ के बजाय संस्थान और उसके छात्रों के सर्वोत्तम हित में लिये जाएँ।
- असहमति और आलोचनात्मक जाँच की रक्षा: प्रतशिोध अथवा संसरशपि के भय के बनिा शोध में संलग्न होने और वचिर वयक्त करने के संकय के अधकिर को बनाए रखनल उच्च शकिषल की अखंडतल को बनाए रखने के लयि आवश्यक है।
 - शैकषणकि स्वतंत्रतल की रक्षा के लयि स्पष्ट नीतयिँ और सुरक्षा उलय लागू कयि जाने चाहयि।
- छलत्र संघ की स्वतंत्रतल: यह सुनिश्चित कयिा जनल चाहयि कि विश्वविदयलय छलत्र संघ छलत्रों दवलरल नरिवलचित स्वलयत्त नकिय बने रहें तथल उनके चुनलव अथवल कर्यपरणलली में रलजनीतिक दलों यल प्रलधकिरयिँ कल हस्तकषेप न हू।
- सशक्त लोकपलल: रलजनीतिक हस्तकषेप, शैकषणकि स्वतंत्रतल के उल्लंघन यल कसिी भी हतिधरक से रलजनीतिक रूप से प्रेरति उत्पीडन की शकियतों की जलँच और सलधलन के लयि एक स्वतंत्र लोकपलल तंत्र की स्थलपनल करनल।

भलरत में उच्च शकिषल के लयि नयिलमक ढलँचल:

- भलरत की उच्च शकिषल परणलली की देखरेख केंद्रीय और रलज्य स्तर पर शकिषल मंत्रललय के अंतरगत वभिनिन वैधनकि नकियों दवलरल की जलती है, जो उच्च शकिषल की गुणवत्तल एवं मनकों को बनाए रखने के लयि ज़मिेदलर हैं।
- मुख्य नयिलमक नकियल:
 - विश्वविदयलय अनुदलन आयोग (University Grants Commission- UGC): वर्य 1956 में स्थलपति एक वैधनकि नकिय है, जो विश्वविदयलय शकिषल में मनकों के समनवयन एवं रखरखलव तथल अनुदलन जलरी करने के लयि ज़मिेदलर है।
 - आयोग उच्च शकिषल के वकिास के उलयों पर केंद्र और रलज्य सरकारों को सललह देतल है।
 - यह नई दलिली से संचललति हूतल है तथल इसके छह कषेत्तीय कर्यलय बंगलूर, भूपलल, गुवलहलटी, हैदरलबलद, कूलकलतल और पुणे में हैं।
 - अखलि भलरतीय तकनीकी शकिषल परषिद (AICTE): इसकी स्थलपनल वर्य 1945 में एक सललहकर नकिय के रूप में की गई थी और बलद में वर्य 1987 में इसे वैधनकि दरज़ल दयिा गयल।
 - यह नए तकनीकी संस्थलनों, पलठ्यकरमों और प्रवेश कषमतल को अनुमूदति करतल है तथल डिप्लूमा स्तर के संस्थलनों के लयि रलज्य सरकारों को कुछ वशिषिट शकतयिँ प्रदलन करतल है।
 - यह मनदंड और मनक नरिधरति करतल है, संस्थलनों को मन्यतल देतल है तथल वभिनिन योजनलओं के मलध्म से तकनीकी शकिषल को बढवल देतल है।
 - AICTE कल मुख्यलय नई दलिली में है तथल इसके कषेत्तीय कर्यलय कूलकलतल, चेन्नई, कलनपुर, मुंबई, चंडीगढ, भूपलल, बंगलूर और हैदरलबलद में हैं।
 - वलस्तुकलल परषिद (Council of Architecture- COA): इसकी स्थलपनल भलरत सरकार दवलरल वलस्तुवदि अधनियिम (Architects Act), 1972 के तहत की गई है। यह वलस्तुवदिों को पंजीकृत करने और मन्यतल प्रलप्त योग्यतलओं के लयि मनकों के प्रबंधन को सुनिश्चित करने के हेतु उत्तरदलयी है।
 - भलरत में वलस्तुकलल शकिषल और वयवसलय के मनकों को नयितरति करतल है।
- नयिलमकीय ढलँचे से संबंधति हललयि घटनाकरम:
 - रलषट्रीय शकिषल नीतल (NEP) 2020: चकितिसल और वधिकि शकिषल को छूडकर सभी प्रकार की उच्च शकिषल के लयि एकल वयलपक नकिय के रूप में भलरतीय उच्च शकिषल आयोग (Higher Education Commission of India- HECI) की स्थलपनल कल प्रस्ताव करती है। HECI में चलर स्वतंत्र वरटकिल शलमलि हूँगे:
 - वनियिमन के लयि रलषट्रीय उच्चतर शकिषल वनियिलमक परषिद (NHERC)
 - मनक नरिधरण के लयि सलमलन्य शकिषल परषिद (GEC)
 - वतितपोषण के लयि उच्चतर शकिषल अनुदलन परषिद (HEGC)
 - मन्यतल के लयि रलषट्रीय प्रत्यायन परषिद (NAC)
 - HECI प्रूदयोगकिी आधरति हस्तकषेप के मलध्म से कर्य करेगल और मनदंडों एवं मनकों कल पलन नहीं करने वलले उच्च शकिषल संस्थलनों को दंडति करने कल अधकिर हूँगल।
 - रलषट्रीय महत्त्व के सार्वजनकि और नजिी दोनों प्रकार के उच्च शकिषण संस्थलन सलमल वनियिमन, मन्यतल एवं शैकषणकि मनकों के अधीन हूँगे।

?????? ???? ????:

प्रश्न. उच्च शकिषल के रलजनीतिकरण से कयल अभिप्राय है, वविचनल कीजयि। इसके परणिलमों कल वशि्लेषण कीजयि तथल शैकषणकि संस्थलओं की अखंडतल और स्वतंत्रतल को बनाए रखने के उलय सुझलइये।

और पढ़ें: [भलरत की उच्च शकिषल परणलली में सुधलर](#)

UPSC सविलि सेवा परीकषल, वगित वर्य के प्रश्न

??????:

प्रश्न. भलरत के संवधिन के नमिनलखिति में से कसि प्रलवधन कल शकिषल पर प्रभव है? (वर्य 2012)

1. राज्य के नीतिनिदेशक सदिधांत
2. ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय
3. पाँचवीं अनुसूची
4. छठी अनुसूची
5. सातवीं अनुसूची

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3, 4 और 5
- (c) केवल 1, 2 और 5
- (d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर- (d)

??????:

प्रश्न. भारत में डिजिटल पहल ने किस प्रकार से देश की शिक्षा व्यवस्था के संचालन में योगदान किया है? वस्तुतः उत्तर दीजिये। (2020)

प्रश्न. जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना कीजिये तथा भारत में उन्हें प्राप्त करने के उपायों का वस्तुतः से उल्लेख कीजिये। (2021)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/hyperpoliticisation-of-indian-higher-education>

